महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर पिन कोडः 334004

दूरभाषः 0151–2970177 ई–मेलः registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : एफ.07( )/मगंसिंविबी/शैक्ष.–II/2026/ 2602 दिनांक : 18-05-26

समस्त माननीय सदस्य,
विद्या परिषद्
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय : विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 21.04.2026 का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 21.04.2026 को प्रातः 10:30 बजे आयोजित विद्या परिषद की विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– कार्यवाही विवरण।

भवदीय,

(यशपाल आहूजा)
कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर पिन कोड: 334004

दूरभाष: 0151–2970177 ई–मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : एफ.07(वि.प.वि.बैठक)मगंसिविबी / शैक्ष.–II / 2026 / 2602 दिनांक: 18-5-2026

विद्या परिषद् विशेष बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 21–04–2026 को प्रातः 10:30 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलगुरू सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	**आचार्य मनोज दीक्षित, कुलगुरू**	अध्यक्ष
2.	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, संकायाध्यक्ष – विज्ञान	सदस्य
3.	प्रो. अन्नाराम शर्मा, संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
4.	प्रो. चन्द्रशेखर कच्छावा, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य
5.	प्रो. राजकुमार ठठेरा, संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य
6.	डॉ. पंकज जैन, संकायाध्यक्ष प्रबन्धन	सदस्य
7.	प्रो., अभिलाषा आल्हा, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य एवं संयोजक–गृह विज्ञान	सदस्य
8.	डॉ. सुरेश पुरोहित राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
9.	प्रो. राजाराम चोयल, संयोजक–पर्यावरण विज्ञान	सदस्य
10.	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक–कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
11.	प्रो. देवेश खण्डेलवाल, संयोजक–भूगर्भ विज्ञान	सदस्य
12.	प्रो. एम.डी. शर्मा, संयोजक–भौतिक विज्ञान	सदस्य
13.	प्रो. राजेन्द्र पुरोहित, संयोजक–प्राणीशास्त्र	सदस्य
14.	प्रो. विक्रमजीत, संयोजक –संस्कृत	सदस्य
15.	प्रो. राजेश भाकर, संयोजक– भूगोल	सदस्य
16.	प्रो. विश्वप्रभा, संयोजक–अर्थशास्त्र	सदस्य
17.	प्रो. नरेन्द्र नाथ, संयोजक–राजनीति विज्ञान	सदस्य
18.	प्रो. नरेन्द्र कुमार कुमावत, संयोजक– ड्राइंग एण्ड पेंटिग	सदस्य
19.	प्रो. साधना भण्डारी, संयोजक –लोकप्रशासन	सदस्य
20.	डॉ. संजीव बंसल, संयोजक–ए.बी.एस.टी.	सदस्य
21.	डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक–शारीरिक शिक्षा	सदस्य
22.	प्रो. देवीशंकर शर्मा, संयोजक–जेवीजेवी	सदस्य (ऑनलाइन)

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर पिन कोड: 334004

दूरभाष: 0151–2970177 ई–मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

23.	डॉ. कविता चौधरी, संयोजक–शिक्षा	सदस्य (ऑनलाइन)
24.	प्रो. अमर सिंह, संयोजक– संयोजक–सैन्य विज्ञान	सदस्य (ऑनलाइन)
25.	डॉ. मीनू तंवर, संयोजक –समाजशास्त्र	सदस्य (ऑनलाइन)
26.	डॉ. आसित गोस्वामी, संयोजक–संगीत	सदस्य
27.	डॉ. धर्मेश हरवानी, संयोजक–जैव तकनीकी	सदस्य
28.	डॉ. धन्वतंरी विश्नोई, संयोजक– जीपीईएम	सदस्य
29.	डॉ. संदीप सिंह, संयोजक–पंजाबी	सदस्य
30.	श्री उमेश शर्मा, संयोजक–पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	सदस्य
31.	श्री जलेन्द्र सिंह, संयोजक–मनोविज्ञान	सदस्य
32.	डॉ. मेघना शर्मा, कुलगुरू महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य

डॉ. सतपाल स्वामी, विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित हुए ।

बैठक के प्रारम्भ में विद्या परिषद् की विशेष बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए माननीय सदस्यों का कुलगुरू महोदय द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कुलगुरू महोदय द्वारा सदन के समक्ष मद प्रस्तुत की गई, जिस पर विद्या परिषद् सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

मद संख्या	मद
01	**विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की बकाया अस्थायी सम्बद्धत अभिवृद्धि प्रकरणों के सम्बन्ध में।** विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कई महाविद्यालयों की सत्र 2025–26 से पूर्व की अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि बकाया चल रही है। महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करते है एवं साथ ही महाविद्यालयों में संचालित संकाय/विषयों हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क सहित नियमानुसार 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाता है। महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शर्तों की पालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सम्बद्धता शर्तों की पालना रिपोर्ट में कमी पाए जाने की स्थिति में

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर पिन कोडः 334004

दूरभाषः 0151–2970177 ई–मेलः registrar@mgsubikaner.ac.in

महाविद्यालय को कमी–पूर्ति हेतु निर्देशित किया जाता है। महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शर्तों की पूर्ण पालना करने पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरांत महाविद्यालय के सम्बन्धित सत्र की अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि की जाती है। महाविद्यालयों द्वारा समयबद्ध रूप सम्बद्धता शर्तों की पूर्ण पालना में विलम्ब होने यथा **(शैक्षणिक स्टाफ, एण्डोमेंट फण्ड, भूमि–भवन सम्बन्धी दस्तावेज, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश, ए.आई. एस.एच.ई. प्रमाण पत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, बकाया सम्बद्धता शुल्क एवं जी.एस.टी., स्पोर्टस अदेय प्रमाण पत्र)** के कारण ऐसे महाविद्यालयों की अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि में विलम्ब होता है। (महाविद्यालयों की अंतिम अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि सत्रवार सूची संलग्न है– Annexure A) प्राप्त निर्देशानुसार महाविद्यालयों की पूर्व बकाया अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि नियमानुसार जारी करने के सम्बन्ध में विधि अनुभाग से विधिक राय ली गई जो निम्नानुसार हैः–

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी अद्यतन ऑर्डिनेन्स 70A के अनुसार Temporary Criteria for temporary Affiliation (अस्थायी सम्बद्धता के लिए अस्थायी मानदंड) में The college, if not run by the State Government (यदि महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है) का **बिन्दु संख्या (iii) (a)** में उल्लेखित अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संकायों में केवल उन्हीं विषयों और पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में शिक्षण प्रदान करना, जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गई है, और पूर्वव्यापी सम्बद्धता का अनुरोध नहीं करना। (Annexure B)

बिन्दु संख्या 8 Procedure for granting Temporary affiliation **(अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया)** विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 के तहत सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक महाविद्यालय को, चाहे वह पहली बार सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, अस्थायी/अनंतिम सम्बद्धता की अवधि बढाना चाहता हो, अतिरिक्त विषयों के लिए, अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए या स्थायी सम्बद्धता के लिए, रजिस्ट्रार को उचित माध्यम से लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ निर्धारित शुल्क भी संलग्न करना होगा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क सहित नियमानुसार 31 दिसम्बर (बिना विलम्ब शुल्क के) 31 मई तक विलम्ब शुल्क सहित (सम्बद्धता शुल्क का दुगुना) और 31 जुलाई तक तिगुना

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर पिन कोड: 334004

दूरभाष: 0151–2970177 ई–मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

	(सम्बद्धता शुल्क सहित) कुलपति, प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति के अधीन 31 जुलाई के बाद छ गुना विलम्ब शुल्क के साथ महाविद्यालय को आवेदन करने की अनुमति दे सकते है। उक्त समस्त तिथियां उस शैक्षणिक वर्ष/सत्र से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की होगी, जिससे महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता है। (Annexure C) **समय–समय पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा महाविद्यालयों को तत्कालीन सत्र की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) देरी से जारी की जाती है।** (Annexure D) अतः ऐसे महाविद्यालय जिनकी अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि बकाया है, के सम्बन्ध में प्रकरण विद्यापरिषद् के माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	1. सत्र 2025–26 के लिए जिन महाविद्यालयों को नवीन विषयों में सम्बद्धता हेतु आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ है, जिसके कारण उनको सत्र 2025–26 से नवीन विषयों में सम्बद्धता प्रदान नही की गई है। ऐसे महाविद्यालयों के लिए विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय से समय पर सम्बद्धता शुल्क जमा प्राप्त होने तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा भी पक्ष में होने की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों को नवीन विषयो में सत्र 2025–26 से प्रवेश शून्य सत्र मानते हुए सम्बद्धता प्रदान की जाये। 2. सत्र 2025–26 तक लम्बित समस्त सम्बद्धता अभिवृद्धि के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विद्या परिषद् द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें राज्य सरकार के नामित सदस्य भी सम्मिलित हो। उक्त समिति महाविद्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों एवं सूचना के आधार पर अपनी अनुशंसा कुलगुरु को प्रस्तुत करेगी। 3. सत्र 2026–27 हेतु नियमानुसार समिति का गठन कर संबद्धता शर्तो के अधीन संबंद्धता/संबद्धता अभिवृद्धि संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

भवदीय,

(यशपाल आहूजा)

कुलसचिव